प्रेस विज्ञप्ति

30.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने 22.01.2025 को पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में ग्रूप 'सी' और 'डी' पदों की भर्ती घोटाले के मामले में **प्रसन्ना कुमार रॉय, चंदन मंडल और 18 अन्य** के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 22.01.2025 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों की कथित अवैध नियुक्ति के मामले में अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति देने और योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करने का आरोप लगाया गया। आरोपों में निष्पक्षता बनाए रखे बिना, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश में और संबंधित नियमों का उल्लंघन करके नियुक्ति करना शामिल है। इसके अलावा, सीबीआई चार्जशीट से पता चला कि कुल 3432 (ग्रुप 'सी' के लिए 1125 और ग्रुप 'डी' के लिए 2307) कर्मचारियों को डब्ल्यूबीसीएसएससी के अधिकारियों द्वारा दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में ग्रुप 'सी' और 'डी' स्टाफ के पद के लिए अवैध रूप से नियुक्त/अनुशंसित किया गया था।

ईडी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों की भर्ती घोटाले के मामले में बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय और उसके मुख्य एजेंट चंदन मंडल को क्रमशः 28.11.2024 और 26.11.2024 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

इसके अलावा, इस मामले में पहले ईडी ने प्रसन्ना कुमार रॉय, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनी मेसर्स दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पीएओ दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से **163.20 करोड़ रुपये** की अचल संपत्तियां (भूमि पार्सल, होटल और फ्लैट) भी अनंतिम रूप से कुर्क की थीं। इसके अलावा, चंदन मंडल की अचल संपत्तियां यानी **46.13 लाख रुपये** की भूमि पार्सल को पीएओ दिनांक 30.12.2024 के माध्यम से कुर्क किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती घोटाले के मामले में कुल कुर्की **163.66 करोड़ रुपये** है।

आगे की जांच जारी है।